न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :458/2015

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1.मुगनाराम पुत्र छितरराम 2.रंगलाल पुत्र छितरराम 3.अमराराम पुत्र छितरराम 4.नारायण पुत्र छितरराम 5.शिवलाल पुत्र छितरराम 6.बाबुलाल पुत्र चन्द्राराम पौत्र छितरराम जातियान–गुर्जर, निवासीगण–केसरपुरा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज.)		1. तहसीलदार जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 2. नारायण पुत्र कालिया 3. जुंजार पुत्र कालिया 4. बादर पुत्र कालिया 5. जेती पत्नी कालिया जाति–गुर्जर, निवासी–केसरपुरा, तहसील–जैतारण 6. भैरू पुत्र सुजा 7. भुण्डाराम पुत्र मेन्दु जाति–गुर्जर, निवासी–पाटण, तहसील–जैतारण 8. मांगु पुत्र मादा 9. छोगा पुत्र मादा 10. जेती पत्नी मादा 11. सुन्दर पत्नी जयराम 12. मेहन्दु पुत्र रामा 13. बगदाराम पुत्र उदा 14. कालुराम पुत्र उदा 15. मुगनी पुत्र उदा 16. हीरा पुत्र काना 17. उदा पुत्र काना 18. भागु पुत्र काना 19. बलदेव पुत्र किशना 20. अमरा पुत्र किशना के का.मु. 1. रुकमा पत्नी अमराराम 2. प्रकाश पुत्र अमराराम 3. चेतन पुत्र अमराराम 4. संतु पुत्री अमराराम ना.बा. 5. पूजा पुत्री अमराराम ना.बा. 6. मंजु पुत्री अमराराम ना.बा. 7. चिमना पुत्री अमराराम ना.बा. 21. मांगी पत्नी किशना 22. प्रबंधक RMGB बैंक रास 23. मांगुराम पुत्र भेरा 24. पांचाराम पुत्र भेरा 25. भाकरराम पुत्र भेरा 26. मोतीराम पुत्र भेरा कौम–गुर्जर, निवासी–केसरपुरा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.29/10/2015

उपस्थितः. 1. श्री हरिओम पारीख, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री देवाराम कटारिया व श्री भाकरसिंह भाटी, अधि0 प्रति0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 21/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय में कृषि भूमि खसरा नम्बर निम्नलिखित आयी हुई है- खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 2911 रकबा 07-05 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2912 रकबा 00-08 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 2913 रकबा 32-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2914 रकबा 26-09 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2915 रकबा 03-08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2916 रकबा 09-00 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 6 कुल रकबा 79-07 बीघा है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति 2069-2072 की दावे के साथ पेश है। उक्त आराजी को वादपत्र में आगे ''वाद ग्रस्त आराजी'' से संबोधित किया जायेगा। वादीगण का सजरा खान दान निम्नलिखित है-

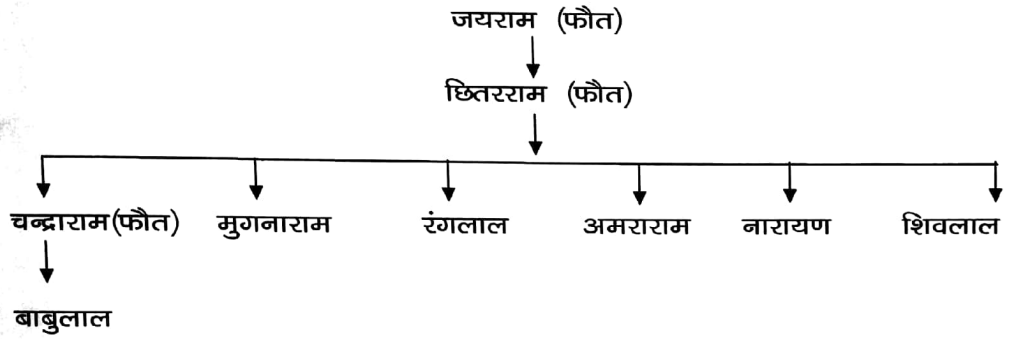

जमाबंदी संवत् 2018-2021 में वादीगण के पिता छितर पुत्र जयराम का नाम वक्ट सेट्लमेंट से दर्ज है। जो 2020-2023 की जमाबंदी में भी दर्ज है। इसके बाद 2024-2027 की जमाबंदी से छितर पुत्र जयराम लुप्त है। वादीगण ने इस आधार पर घोषणात्मक आज्ञप्ति हेतु वादपत्र पेश किया है। वादीगण के पिता व पितामह के स्थान पर नाम वादीगण का घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। वादीगण का अभिधार स्वामित्व व स्वत्व उक्त आराजी में निहित है जो चीरकाल से बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक मौके पर काबिज है। बिनाय दावा दिनांक 14/09/2015 को तहसील कार्यालय से नकले जमाबंदी की प्राप्त करने पर बमुकाम जैतारण पटवार हल्का रास-द्वितीय में उत्पन्न हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 22 राजस्थान सरकार के नुमाइन्दे है अतः इस वादपत्र के जरिये अनुज्ञा वाद पेश हेतु निवेदन है बिना 80(2) सीपीसी नोटिस प्रेषित किये ही पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान् के क्षैत्राधिकार का है जो अन्दर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीवादी संख्या 01 से 18 व 20/1 से 20/7, 21 से 23, 27 बावजुद सम्मनस् तामिल / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं। प्रति. सं. 19, 24 से 26 जबाबदावा पेश करने का अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब दावा पेश नही करने से अवसर बन्द किया गया हैं।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प-रास में पेश हुई। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने आज मजमा-ए-आम में जवाब / फर्द जांच रिपोर्ट पेश की, कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम रास I सम्वत 2020 से 2023 में खसरा नम्बर 2911 से 2916 में वादीगण के पिता छीतर वल्द जैराम का नाम सहखातेदारी में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (राज.)

Scanned by CamScanner

दर्ज था। लेकिन जमाबन्दी 2024 से 2027 बनाते समय वादी पक्षकार के पिता छीतर का नाम भुलवशः पीछे छोड़ दिया गया हैं जो आज दिनांक जमाबन्दी में दर्ज नही हैं। अतः ग्राम रास II के खसरा नम्बर 2911 से 2916 में वादी पक्षकार के पिता छीतर वल्द जैराम का नाम पुनः दर्ज किया जाना उचित हैं। जवाब / फर्द जांच रिपोर्ट पेश किया सा.मि. किया गया। बहस वादी सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाबदावा, फर्द मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य शपथ-पत्र का गहनत से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम रास I सम्वत 2020 से 2023 में खसरा नम्बर 2911 से 2916 में वादीगण के पिता छीतर वल्द जैराम का नाम सहखातेदारी भूमि में दर्ज होने से छुट गया जिसे वर्तमान जमाबन्दी ग्राम रास II में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा-रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय में कृषि भूमि खसरा नम्बर निम्नलिखित आयी हुई है- खाता संख्या 44 खसरा नम्बर 2911 रकबा 07-05 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2912 रकबा 00-08 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 2913 रकबा 32-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2914 रकबा 26-09 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2915 रकबा 03-08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2916 रकबा 09-00 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 6 कुल रकबा 79-07 बीघा में संवत 2024-2027 की जमाबन्दी के लेखन में सहवन से वादीगण के पिता छित्तर वल्द जैराम का नाम दर्ज किये जाने से छूट जाने से वर्तमान जमाबन्दी ग्राम रास II में वादीगण के पिता छित्तर वल्द जैराम का नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से लिखा जाकर सा0मि0 किया गया। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner